Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976

*158. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :

SHRI CHIMANBHAI MEHTA :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 is going to be modified drastically or scrapped ;

(b) whether it is also a fact that the estimated projection of surplus land due under Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 has not materialised as a result of litigation ; and

(c) if so, the details of land made available to States, lands under dispute and the projected estimate of surplus lands ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SMT. SHEILA KAUL) : (a) The Government of India has formulated various proposals in order to modify the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976.

(b) and (c) The surplus land under Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 was estimated to be 2,18,356 hectares out of which 14,191 hectares could be physically taken possession of by the States/UTs as intimated by them upto February, 1994. The balance surplus land could not be taken over for various reasons like litigation, delay in processing the statements filed under the Act, delay in getting information from different States in which the surplus land is located, delay in clearing the objections filed against the orders of the competent authorities etc. The Urban Land (Ceiling & Regulation) Act is implemented by the State Government. Hence information regarding litigation is not available at Central Government level.

बाढ़ को रोकने के उपाय

*159. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये की बर्बादी होने के बावजूद बाढ़ को रोकने हेतु केन्द्र स्तर पर कोई उपाय नहीं किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए उपायों का पता लगाने और उनके बेहतर प्रबन्ध के वास्ते 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक-थालो (बेसिनों) को बाढ़ व्यवस्था के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते 1972 और 1981 में क्रमशः गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गयी। इन संगठनों द्वारा तैयार की गयी सभी मास्टर योजनाएं जिनमें दीर्घावधिक और अल्पावधि उपायों की सिफारिशें की गई हैं, संबंधित राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई हैं कि वे भू-सर्वेक्षण, अन्वेशण और उनका क्रियान्वयन करने के बाद विस्तृत योजनाएं तैयार करें।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा निर्यात

160. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपने उत्पादन का निर्यात अपने स्तर पर कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन का कितना-कितना और कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) नेशनल मिनरल डेवलपमैंन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एन० एम०डी०सी०) द्वारा उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एस०एम०डी०सी०) के माध्यम से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए ऐसे निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1990-91	74.01 लाख टन	289.39 करोड़ रुपए
1991-92	78.06 लाख टन	438.65 करोड़ रुपए
1992-93	64.56 लाख टन	404.43 करोड़ रुपए
1993-94 (जनवरी, 94 तक)	55.96 लाख टन	343.18 करोड़ रुपए

एक विशेष मामले के रूप में फरवरी, 1990 में एन०एम०डी०सी० को परीक्षण के तौर पर 2.5 लाख टन केलिब्रेटिड लम्प अयस्क का सीधे निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। इसकी तुलना में कम्पनी द्वारा वर्ष-वार किया गया वास्तविक निर्यात और अर्जित मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1899-90	56228 टन	2.49 करोड़ रुपए
1990-91	39290 टन	1.70 करोड़ रुपए
1991-92	65791 टन	5.46 करोड़ रुपए

एन०एम०डी०सी० ने नोली थूलि से फेरिक आक्साइड का उत्पादन करने के लिए एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया है। इस प्रदर्शन संयंत्र से फेरिक आक्साइड के परीक्षण उत्पादन के निर्यात का ब्यौरा निचे दिया गया है —

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1990-91	120 टन	2.75 लाख रुपए
1991-92	221 टन	8.12 लाख रुपए
1992-93	180 टन	6.67 लाख रुपए
1993-94 (फरवरी 1994 तक)	38 टन	1.94 लाख रुपए

(ग) लौह-अयस्क के निर्यातकों को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के तहत निर्यातकों को मिलने वाले लाभ तथा समान विनिमय दर का लाभ भी मिलता है। लौह अयस्क के निर्यात पर पहले से लगाया निर्यात शुल्क 1-4-1993 से समाप्त कर दिया गया था।

Area under Cashew Cultivation

1533. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) What is the total area under cashew cultivation in different States at present ;

(b) whether it is a fact that cashew cultivation is in the hands of marginal farmers ;

(c) whether the production of cashew is adequate to meet its internal and exports requirement and if so, the details thereof ;

(d) whether it is also a fact that Government have prepared a package for improving the production of cashew as well as to raise the lot of its cultivators ; and

(e) if so, the details thereof and by when it is likely to be implemented ?